



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक 22..12.2025

कार्यालय आदेश सं.24/2025

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने बल्क डीबीटी भुगतान के लिए "टी बोर्ड डीबीटी खाता" नाम से एक बैंक खाता खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस खाता से भुगतान के लिए सभी दस्तावेज पर नीचे दिए गए अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और उन्हें अधिकृत करेंगे। 5 लाख रुपये तक का लेनदेन अकेले अधिकृत किए जा सकते हैं और 5 लाख रुपये से ज्यादा के लेनदेन अधिकृत हस्ताक्षर करने वालों में से किन्हीं दो द्वारा अधिकृत किए जाएंगे। खाता खोलने का फॉर्म, सीएमपी फॉर्म और संबंधित दस्तावेज पर इन हस्ताक्षर करने वालों में से कोई भी दो हस्ताक्षर कर सकते हैं।

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री धनंजय मंडल	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
2.	श्री अर्जुन कुमार पासवान	सहायक निदेशक राजभाषा
3.	श्री ज्योति अर्नब गोस्वामी	लेखा अधिकारी
4.	श्री शांतनु गुहा	सहायक लेखा अधिकारी
5.	श्रीमती तृणा चौधरी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
6.	श्री मिश्री चौधरी	वरिष्ठ सचिवीय सहायक

उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री सुब्रत बनर्जी (प्रणाली विश्लेषक) को सर्वर समाकलन और सीएमपी/एसएफटीपी प्रणाली की अन्य तकनीकी आवश्यकताओं के लिए बोर्ड की ओर से सभी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक कार्यवाई करने का अधिकार होगा।



(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव

वितरण:-

1.	ऊपर सूचीबद्ध सभी अधिकारी।
2.	उपाध्यक्ष एवं वि स एवं मु ले अ के निजी सहायक
3.	आईटी कक्ष
4.	टीबीईए
5.	स्थापना शाखा

संदर्भ फाइल सं. वित्त/नकद/बैंक मामला/भाग-II